

संदर्भ सं. राबैं. डोर/ 528 / एलटी पॉलिसी - 178 / 2021-22

परिपत्र सं. 180 / डोर - 53 /2021

08 सितंबर 2021

अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया/ महोदय,

कृषि के लिए निवेश ऋण हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता - दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2021-22 (एलटीआरसीएफ) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा समर्थित कृषि गतिविधियों की दीर्घकालिक निवेश ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए एलटीआरसीएफ के तहत निधियों का आबंटन किया गया है.

2. नाबार्ड से पुनर्वित्त पर ब्याज दर 2.90% प्रतिवर्ष(तिमाही अंतराल पर) जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधन के अधीन है. बैंक अंतिम उधारकर्ता को ब्याज दर लाभ उपलब्ध करवा सकते हैं.

3. टैब सूचना केंद्र के तहत नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर भी परिपत्र उपलब्ध है.

4. कृपया पावती दें.

Long-term refinance for investment credit for agriculture - Long Term Rural Credit Fund 2021-22 (LTRCF) - Regional Rural Banks (RRBs)

As you are aware RBI has allocated funds under LTRCF for 2021-22 to meet the long term investment credit needs of agriculture activities supported by Cooperative Banks and Regional Rural Banks (RRBs).

2. The interest rate on refinance from NABARD will be 2.90% p.a. (with quarterly rests), subject to revision by NABARD from time to time. Banks may pass on the interest rate benefit to the ultimate borrower.

3. The Circular is also available on NABARD website www.nabard.org under the tab Information Centre.

4. Please acknowledge receipt.

भवदीय

(विवेक कृष्ण सिन्हा)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 3 पुष्ठ

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26524926 • फ़ैक्स: +91 22 6530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26524926 • Fax: +91 22 6530090 • E-mail: dor@nabard.org

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2021-22 (एलटीआरसीएफ)

Long Term Rural Credit Fund 2021-22 (LTRCF)

1. भूमिका

वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए कृषि और अनुषंगी गतिविधियों से आमदनी बढ़ाने के लिए हमें किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें सभी किसानों को वाजिब ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके। इससे स्वयं संधारणीय और गतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि में पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण है। इससे किसानों का जलवायु की अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन से बचाव भी होगा और उन्हें स्थायी आमदनी होगी। इसके अलावा, अनुषंगी गतिविधियों में पूंजी निर्माण से किसानों को सतत आमदनी मिलेगी और उनकी अनुकूलन क्षमता बढ़ेगी।

दीर्घावधि निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए केवल सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि गतिविधियों के लिए दीर्घावधि निवेश ऋण हेतु पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड में “दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि” की स्थापना की।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं और पुनर्वित्त प्रदान करने के महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें निम्नानुसार हैं:

2. पात्र संस्थाएं

नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस ऋण सीमा के अंतर्गत पुनर्वित्त के पात्र होंगे बशर्ते वे नाबार्ड द्वारा समय-समय पर पुनर्वित्त के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

1. Introduction

In order to double the farmer income by 2022, we need to prioritize farmer welfare and create an environment where affordable credit is available and accessible by all farmers, in order to increase the income from agriculture and allied activities. This will create a self-sustainable and vibrant rural economy.

Capital formation in agriculture is critical to boost agriculture production and productivity. This also protects farmers from uncertainty due to weather, climate change and provide them with a sustainable income flow. Apart from that, capital formation in allied activities enables farmer to have a perennial flow of income, increasing their resilience.

To give boost to long term investment credit, Government of India set up a “Long Term Rural Credit Fund” with NABARD for providing long term refinance support for investment credit in agriculture activities exclusively for Cooperative Banks and Regional Rural Banks (RRBs).

The salient features of the scheme and important terms and conditions of providing refinance are as under:

2. Eligible institutions

All Regional Rural Banks which are eligible to avail refinance facilities from NABARD will be eligible for refinance under this line of credit, subject to their satisfying the eligibility criteria for refinance as may be stipulated by NABARD from time to time.

3. पात्रता मानदंड एवं पुनर्वित्त की प्रमात्रा

12 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र सं. 61/पुनर्वित्त - 12/2021 में उल्लिखित पुनर्वित्त संबंधी हमारे नीतिगत दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदंड व प्रमात्रा लागू होंगे।

हालाँकि, बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एलटीआरसीएफ के तहत 25% धनराशि चिन्हित जिलों के लिए आवंटित करेगा जहाँ ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (जिलों की सूची संलग्न है). इन चिन्हित जिलों में ऋण उपयोग की निगरानी नाबार्ड द्वारा की जाएगी.

4. शामिल गतिविधियां

कृषि क्षेत्र (एनआरएलएम/ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत शामिल स्वयं सहायता समूहों को छोड़कर) के अंतर्गत सभी पात्र निवेश गतिविधियां इस योजना में शामिल होंगी.

5. पुनर्वित्त की प्रमात्रा

पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम), पर्वतीय क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह), लक्षद्वीप तथा छत्तीसगढ़ के लिए सभी प्रयोजनों हेतु पुनर्वित्त की प्रमात्रा पात्र बैंक ऋण के 95% तक रहेगी. अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की प्रमात्रा निम्नानुसार रहेगी:

क) सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 95% (हमारी पुनर्वित्त नीति में दर्शाए गए अनुसार)

ख) सभी अन्य विविध प्रयोजनों के लिए 90%.

6. स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा

ग) पुनर्वित्त की प्रमात्रा पर किसी अधिकतम सीमा के बिना कृषि क्षेत्र के अधीन सभी परियोजनाओं के लिए बैंक

3. Eligibility criteria

The eligibility criteria will be applicable as specified in our policy guidelines on refinance enumerated in our Circular No. 61/DoR - 12/2021 dated 12 April 2021.

However, following the RBI instruction to improve the flow of credit to the credit starved districts by banks, NABARD has allocated 25% of the corpus funds under LTRCF towards identified districts where credit flow is comparatively low (list of districts is enclosed). The utilisation in these identified districts will be monitored closely by NABARD.

4. Activities covered

All eligible investment activities under agriculture sector (excluding Self Help Groups as they are covered under NRLM / Interest Subvention Scheme) will be covered under this scheme.

5. Extent of refinance

The extent of refinance for the States in North Eastern Region (Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim), Hilly Region (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand), Eastern Region (West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands), Lakshadweep and Chhattisgarh will be 95% of eligible bank loans for all purposes. For other regions the extent of refinance will be:

(a) 95% for all thrust areas (as indicated in our refinance policy)

(b) 90% for all other diversified purposes.

6. Automatic Refinance Facility

Automatic Refinance Facility will be extended without any upper ceiling of refinance

ऋण अथवा कुल वित्तीय परिव्यय के बराबर होगी. यदि कोई बैंक पूर्व-स्वीकृति प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्वित्त लेना चाहता है तो उसे नाबार्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं को प्रस्तुत करना होगा.

7. ब्याज दर

7.1 उधारकर्ताओं को ऋण

अंतिम उधारकर्ताओं के लिए ऋण पर ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी. **तथापि, बैंक सामान्य गतिविधियों हेतु दिए जाने वाले ऋण की तुलना में कृषि गतिविधियों हेतु किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा सकते हैं.**

7.2 नाबार्ड से पुनर्वित्त

नाबार्ड पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 2.90% प्रति वर्ष (त्रैमासिक अंतराल पर), होगी जिसमें नाबार्ड समय-समय पर संशोधन कर सकता है. बैंक अंतिम उधारकर्ता को कम ब्याज का लाभ अंतरित करें.

7.3 दंडात्मक ब्याज

मूलधन की चुकौती और/अथवा ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नाबार्ड को चूक की अवधि के लिए, चूक की तिथि को चूक की राशि हेतु 5 वर्ष और इससे अधिक की अवधि के दीर्घावधि पुनर्वित्त (सामान्य) पर ब्याज दर के अतिरिक्त 2% दंडात्मक ब्याज देना होगा. दंडात्मक ब्याज की दर में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है.

8. चुकौती अवधि

पुनर्वित्त के लिए चुकौती अवधि 5 वर्ष की होगी और प्रतिवर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई को पुनर्वित्त की चुकौती छिमाही आधार पर होगी. ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर 01 फरवरी, 01 मई, 01 अगस्त और 01 नवंबर को किया जाएगा.

quantum, bank loan or Total Financial Outlay for all projects under agriculture sector. In case, any bank intends to avail refinance under pre-sanction procedure, they may submit projects to NABARD.

7. Interest rate

7.1 Loans to borrowers

The rate of interest on loans to ultimate borrowers will be as per RBI guidelines. **Banks may however extend loans to farmers at a concessional rate of interest as compared to their normal lending for agricultural activities.**

7.2 Refinance from NABARD

The interest rate on refinance from NABARD will be 2.90 % p.a. (with quarterly rests), subject to revision from NABARD from time to time. Banks may pass on the benefit to the ultimate borrower.

7.3 Penal interest

In the event of default in repayment of principal and /or payment of interest, RRBs will be liable to pay to NABARD interest on amount of default at 2% over and above the interest rate on LT refinance (Normal) for 5 years and above as prevailing on the date of default for the period for which the default persists. The penal interest rates are subject to revision from time to time.

8. Repayment period

The repayment period for refinance will be 5 years to be repaid on half yearly basis on 31 January and 31 July every year. Interest payment will be on quarterly basis on 01 February, 01 May, 01 August and 01 November every year.

9. अभिलेखों का रखरखाव

एलटीआरसी निधि के अंतर्गत दिए गए पुनर्वित्त का हिसाब अलग से रखा जाएगा आवश्यक अभिलेख रखा जाएगा. जब भी नाबार्ड मांग करेगा तब बैंक को ऋण की औसत राशि, प्रभारित ब्याज दर, प्रभारित किए गए प्रोसेसिंग शुल्क आदि जैसी सारी जानकारी देनी होगी.

10. योजना के अधीन पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के लिए हमारे परिचालनात्मक दिशानिर्देशों में उल्लिखित अन्य सभी वर्तमान निबंधन व शर्तें लागू होंगी.

9. Maintenance of records

Refinance extended under the LTRC Fund has to be accounted for separately and necessary records should be maintained for the purpose. The banks have to provide all information like average amount of loan, interest rate charged, processing fee charged etc. as and when called for by NABARD.

10. All the other existing terms and conditions, laid down in our operational guidelines, for availing of refinance will be applicable under the scheme.